उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या- 18/2020/1531/12-1-20-907/2020
लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री कमल कटियार, उप कृषि निदेशक, झाँसी के विरूद्ध झाँसी के कार्यकाल में निर्देशों के बावजूद प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगाँव, झाँसी के अतिरिक्त प्रभार का हस्तान्तरण न करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुचाने, क्लस्टर प्रदर्शनों के आयोजन में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों के वि कार्यवाही न करने आदि आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है। आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा भी श्री कटियार के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

अतः प्रशासनिक आधार पर श्री कमल कटियार, उप कृषि निदेशक, झाँसी को स्थानान्तरित करते हुए उप कृषि निदेशक, श्रावस्ती के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- श्री कमल कटियार को निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक, शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगें ।

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव ।

<u>संख्या- 18/2020/ 1531(1)/12-1-20-907/2020, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), कृषि भवन, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(7) संबंधित अधिकारी ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

यतीन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in